

# राजस्थान सरकार

## स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर

क्रमांक प.8 (ड)(का.भा.) / डीएलबी / 24 / 2459

दिनांक: 13/08/2024


### आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.2(च)एसीबी / 316 / 23 / जांच / डीएलबी / 24 / 770 दिनांक 30.07.2024 के द्वारा श्रीमती सुमिता सैनी को सदस्य एवं अध्यक्ष नगर पालिका विराटनगर के पद से निलिम्बित किया गया है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(i)(क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती डिंपल सैनी पार्षद वार्ड सं. 13 को नगर पालिका विराटनगर में अध्यक्ष पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(सुरेश कुमार ओला)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.) / डीएलबी / 24 / 2450 - 6।

दिनांक: 13/08/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
- सम्भागीय आयुक्त, जयपुर/जिला कलक्टर जयपुर।
- निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज० राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज० जयपुर।
- उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।।
- अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका विराटनगर (जयपुर)।
- श्रीमती डिंपल सैनी पार्षद वार्ड सं. 13 नगर पालिका विराटनगर।
- ~~प्रोग्रामर (आई.टी. सैल)~~, निदेशालय।
- सुरक्षित पत्रावली।

  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी